शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक शि0नि0(बे0)/ 10224-10316 /2010-11,दि0 15 जुलाई,2010

विषयः शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-13 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 दि0 01 अप्रैल,2010 से प्रभावी हो चुका है। उक्त अधिनियम की धारा-13(1) के अनुसार कोई भी स्कूल अथवा व्यक्ति किसी बच्चें के प्रवेश के समय कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चों, माता-पिता अथवा अभिभावकों का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करेगा।

अधिनियम की धारा 13(2) के अनुच्छेद (बी) के अनुसार यदि बच्चें का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है तो संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था पर ऐसे पहले उल्लंघन पर अधिकतम 25 हजार रू0 अर्थदण्ड लगाया जा सकता हैं और अगले ऐसे प्रत्येक उल्लंघन पर 50 हजार रू0 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

अस्तु आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त परिषदीय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों को निर्देशित कर दें कि वे प्रवेश के समय कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों अथवा अभिभावकों का किसी भी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट न आयोजित करे अन्यथा अधिनियम की उक्त धारा में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उन पर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगें।

भवदीय,

15/7/10

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)

पृ0सं0 शि0नि0(बे0)/ 10224-10316 /2010-11तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- विशेष सचिव,शिक्षा-5 अनुभाग,उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2- अपर शिक्षा निदेकश(बेसिक)उ0प्र0.इलाहाबाद।
3- सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0,इलाहाबाद।
4- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)उत्तर प्रदेश।
5- श्री लव वर्मा,सदस्य, सचिव, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग,जनपद नई दिल्ली।

15/7/10

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।